न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : **श्री रमेश सीरवी पुनाडियां R.A.S**

राजस्व वाद संख्या : **22/22 (वि.प्रा.पत्र)**

GCMS NO. :- 2022/69

अनवान

1. श्री मोहनलाल पुत्र श्री भीमशंकर जी ब्राहम्ण निवासी सेठवाना तहसील डूंगला, जिला चितौडगढ़ राज0।

............प्रार्थी

बनाम्

1. श्री राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सा. कानोड, तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।

..........विपक्षीगण

अधिवक्ता उपस्थित 1. श्री सुनील कुमार जैन, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

—: : निर्णय : :—

दिनांक 27.09.2022

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि जसवंतपुरा पटवार मण्डल सारंगपुरा (कानोड) तहसील कानोड जिला उदयपुर में जमाबंदी संवत् 2078 स्थाई खाता नम्बर 138 नया की आराजी नम्बर 151 रकबा 0.5600 हैक्टेयर में प्रार्थी एकमात्र खातेदार है व खाता संख्या नया 49 की आराजी नम्बर 154 रकबा 0.0400 हैक्टेयर में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा है। यह कि उपरोक्त आराजीयात की सीमा बाबत् विवाद होने से पत्थरगढी कराये जाने का निवेदन किया।
2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी के सम्मन बाद तामील प्राप्त। जवाब नहीं देना चाहा।
3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रार्थी की बहस को सुना। प्रार्थी के कथनानुसार [illegible] प्रार्थी की खातेदारी भूमि हैं। विपक्षीगण प्रार्थी की भूमि के [illegible] प्रार्थी के नाम दर्ज है जिससे प्रार्थी अपनी आराजीयात [illegible] करता है। [illegible] भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य विवाद बना रहता है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से पक्षकारों में आये दिन सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। अतः सीमा को लेकर विवाद होने से विवाद समाप्ति के लिए पत्थरगढी किया जाना उचित हैं। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:59:23 IST
Reason: SelfAttested

–: : आदेश : :–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा जसवंतपुरा, पटवार हल्का सारंगपुरा (कानोड) तहसील कानोड में जमाबंदी संवत् 2078 से स्थाई खाता संख्या नया 138 आराजी नम्बर 151 रकबा 0.5600 हैक्टेयर व खाता संख्या नया 49 आराजी नम्बर 154 रकबा 0.0400 हैक्टेयर भूमि के चारो दिशाओ की सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। उक्त पत्थरगढ़ी कब्जा प्राप्त करने के लिए नहीं है कब्जे प्राप्त करने के लिए अलग से कार्यवाही करें। अगर भू–प्रबंधन के बाद जमाबंदी/खसरा नम्बर या मौके की तरमीम में कोई परिवर्तन हो तो तहसीलदार खाता शुद्धि के बाद पत्थरगढी की कार्यवाही करें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार कानोड को 500/– पांच सौ रूपया कमिश्नर शूल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार कानोड को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भूगतान प्रार्थीगण अदा करेगें।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:59:23 IST
Reason: SelfAttested